[2021] 1 एस.सी.आर. 269

लखवीर सिंह इत्यादि

बनाम

पंजाब राज्य और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 47-48/2021)

19 जनवरी, 2021

[संजय किशन कौल और ऋषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति]

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 : कानून बनाने का उद्देश्य - अभिनिर्धारित अपराधियों को कारावास की सजा देने के बजाय अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करने का लाभ देना - इस प्रकार, अपराधियों को जेल जीवन के हानिकारक प्रभावों के अधीन किए बिना समाज के उपयोगी और आत्मनिर्भर सदस्यों के रूप में उनके सुधार और पुनर्वास पर जोर दिया जा रहा है।

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958: धारा 6 अपीलार्थियों को विचारण न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और प्रत्येक को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी - विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के खिलाफ दायर अपील को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया - अपीलार्थियों ने विशेष अनुमति याचिका दायर की और शिकायतकर्ता और अपीलार्थियों के बीच समझौता विलेख संलग्न किया, जिसके संदर्भ में शिकायतकर्ता ने कहा था कि वह अपीलार्थियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता था और उसे बरी होने पर जमानत पर उनकी रिहाई पर कोई आपत्ति नहीं है - अपीलार्थी हिरासत में रहते हुए अपनी सजा का लगभग 50% पहले ही पूरा कर चुके हैं - हालांकि अभियोजन पक्ष ने आपत्ति जताई कि भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के तहत कानून द्वारा प्रदान की गई न्यूनतम सजा सात साल है और इसे उस अवधि से कम नहीं किया जा सकता है - इस निवेदन पर, अपीलार्थी-दोषियों ने अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत लाभ की मांग की – अभिनिर्धारित: अपराध की तिथि पर अपीलार्थियों की आयु 21 वर्ष से कम थी - वर्तमान मामले में अपराध, भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के तहत अनिवार्य न्यूनतम सजा के प्रावधानों से अधिनियम के तहत

परिवीक्षा का लाभ बाहर नहीं रखा गया है - अपीलार्थियों ने सात साल की न्यूनतम सजा पूरी नहीं की है, हालांकि उन्होंने लगभग आधी सजा काट ली है - अपराध की तारीख पर उनकी आयु 19 और 21 वर्ष से कम थी, लेकिन सजा की तारीख पर नहीं - उनके मामले में मुक्तिदायी विशेषता यह है कि जिस व्यक्ति को कष्ट हुआ, ऐसा लगता है कि उन्होंने उन्हें माफ कर दिया है, संभवतः समय बीतने के साथ - जेल में उनके आचरण को लेकर उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल रिपोर्ट संज्ञान में नहीं आई है - आधी सजा पूरी होने पर अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम के तहत अपीलार्थियों को परिवीक्षा का लाभ देने के लिए उपयुक्त मामला - अपीलार्थियों को उनकी आधी सजा पूरी होने पर और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे अपनी सजा के शेष भाग के लिए शांति और अच्छा व्यवहार बनाए रखेंगे, दो प्रतिभूतियों के साथ एक बांड में प्रवेश करने पर अधिनियम की धारा. 4 के तहत अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा किया जाता है, जिसमें विफल रहने पर उन्हें सजा के उस भाग को काटने के लिए बुलाया जा सकता है - दंड संहिता, 1860 - धारा 397।

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 : धारा 4 - की मुख्य विशेषता - अभिनिर्धारित : धारा 4 की अनुज्ञाओं में "इसके होते हुए भी", उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय किसी व्यक्ति को शांति और अच्छा व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए उसे सजा सुनाने के बजाय तीन वर्ष की अवधि के लिए मुचलके पर, प्रतिभू के साथ या उसके बिना, रिहा कर सकता है - इस संबंध में, उप-धारा (2) के तहत, उप-धारा (1) के तहत कोई भी आदेश देने से पहले, न्यायालय को मामले के संबंध में संबंधित परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करना आवश्यक है।

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 : धारा 6 - के अंतर्गत लाभ देते समय कारकों का निर्धारण करना - अभिनिर्धारित अधिनियम की धारा 6 के तहत लाभ देते समय प्रासंगिक पहलू हैः अपराध की प्रकृति, अपराधी का चरित्र और परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट में दर्ज आसपास की परिस्थितियां।

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 : धारा 4 और धारा 6 - के बीच अंतर - अभिनिर्धारित धारा 4 धारा 6 से अलग है क्योंकि यह विवेकाधीन प्रकृति की है जबकि धारा 6 में यह प्रावधान है कि न्यायालय को 21 वर्ष से

कम आयु के व्यक्ति को तब तक कारावास की सजा नहीं देनी चाहिए जब तक कि परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर उचित विचार के आधार पर इसके लिए पर्याप्त कारण दर्ज नहीं किए जाते हैं।

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 : धारा 6 - की प्रयोज्यता – अभिनिर्धारित : अपीलकर्ताओं की उम्र अपराध की तारीख पर 21 वर्ष से कम थी और दोषसिद्धि की तारीख पर नहीं, धारा 6 उनकी सहायता के लिए नहीं आएगी।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय

अभिनिर्धारित : 1. उक्त अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण अधिनियमन और इसके संशोधनों के लिए तर्क की व्याख्या करता है : अपराधियों को कारावास की सजा देने के बजाय अच्छे आचरण के परिवीक्षा पर रिहा करने का लाभ देना। इस प्रकार, अपराधियों को जेल जीवन के हानिकारक प्रभावों के अधीन किए बिना समाज के उपयोगी और आत्मनिर्भर सदस्यों के रूप में सुधार और पुनर्वास पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। उक्त अधिनियम की धारा 6, अपने स्वयं के शीर्षक के अनुसार, इक्कीस वर्ष से कम आयु के अपराधियों के कारावास पर प्रतिबंध का प्रावधान करती है।

मध्य प्रदेश राज्य बनाम विक्रम दास ***(2019) 4 एससीसी 125: [2019] 3 एससीआर 691 - पर निर्भर किया गया।***

2. तर्क यह है कि प्रावधान का अंतर्निहित उद्देश्य सुधारात्मक है - धारा 6 जेल में 21 वर्ष से कम आयु के युवाओं के कारावास को रोकने के लिए अधिनियमित एक विशेष प्रावधान है, ताकि उन्हें कठोर अपराधियों के हानिकारक प्रभाव से बचाया जा सके। वर्तमान मामले के तथ्यों में, अपीलार्थियों की आयु अपराध की तारीख को 21 वर्ष से कम बताई गई है। सजा का आदेश ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित किया गया था, यह देखते हुए कि अपीलार्थियों ने एक गरीब व्यक्ति के खिलाफ गंभीर प्रकृति का अपराध किया था और इस प्रकार उक्त अधिनियम के तहत या धारा 360 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत लाभों से वंचित थे।

3. अपीलार्थियों के मामले में, अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए धारा 3 का कोई आवेदन नहीं होगा। तथापि, धारा 4 अपीलार्थियों की सहायता के लिए आ सकती है क्योंकि किया गया अपराध, जिसमें वे दोषी पाए गए हैं, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है। हालांकि, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों के खिलाफ राय दी। इसके अलावा धारा 4 में निहित "इसके बावजूद", कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, न्यायालय किसी व्यक्ति को शांति और अच्छा व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए उसे सजा देने के बजाय 3 साल की अवधि के लिए मुचलके पर, जमानत के साथ या बिना, रिहा करने की अनुमति देती है। इस संबंध में, उप-धारा (2) के तहत, उप-धारा (1) के तहत कोई भी आदेश देने से पहले, न्यायालय को मामले के संबंध में संबंधित परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करना आवश्यक है।

सत्यभान किशोर बनाम बिहार राज्य ***(1972) 3 एस. सी. सी. 350 - पर निर्भर किया गया।***

4. धारा 4 धारा 6 से अलग है क्योंकि यह विवेकाधीन प्रकृति की है जबकि धारा 6 में यह प्रावधान है कि न्यायालय को 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तब तक कारावास की सजा “नहीं देनी चाहिए” जब तक कि परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर उचित विचार के आधार पर इसके लिए पर्याप्त कारण दर्ज नहीं किए जाते हैं। अधिनियम की धारा 6 के तहत लाभ देते समय प्रासंगिक पहलू हैं : अपराध की प्रकृति, अपराधी का चरित्र और परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट में दर्ज आसपास की परिस्थितियाँ।

5. जो अपीलकर्ता अपराध की तिथि पर 21 वर्ष से कम आयु के थे और दोषसिद्धि की तिथि पर नहीं, धारा 6 उनकी सहायता के लिए नहीं आएगी। उक्त अधिनियम के तहत परिवीक्षा का लाभ भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के तहत अनिवार्य न्यूनतम सजा के प्रावधानों से बाहर नहीं है।

रामजी मिसर बनाम बिहार राज्य ए. आई. आर. ***1963 एस.सी. 1088 : [1963] सप्ली. एससीआर 745****; इशर दास बनाम पंजाब राज्य****(1973) 2 एससीसी 65: [1972] 3***

एससीआर 312; *जोगिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य आईएलआर* ***(1981) पी एंड एच 1 - पर निर्भर किया गया।***

6. वर्तमान मामले के तथ्य यह हैं कि अपीलार्थियों ने 7 वर्ष की न्यूनतम सजा पूरी नहीं की है, हालांकि उन्होंने लगभग आधी सजा काट ली है। अपराध की तारीख पर उनकी आयु 19 और 21 वर्ष से कम थी, लेकिन सजा की तारीख पर नहीं। उनके मामले में छुटकारे की विशेषता यह है कि जो व्यक्ति पीड़ित था, उसने संभवतः समय बीतने के साथ उन्हें माफ कर दिया था। जेल में उनके आचरण के बारे में उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं लाई गई है। यह एक उपयुक्त मामला है कि आधी सजा पूरी होने पर उक्त अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों को देखते हुए उक्त अधिनियम के तहत अपीलार्थियों को परिवीक्षा का लाभ दिया जा सकता है। अपीलकर्ताओं को उनकी आधी सजा पूरी होने पर और दो जमानतदारों के साथ एक बांड में प्रवेश करने पर उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपनी सजा के शेष भाग के लिए शांति और अच्छा व्यवहार बनाए रखें, ऐसा न करने पर उन्हें सजा का वह हिस्सा काटने के लिए कहा जा सकता है।

मसरुल्ला बनाम तमिलनाडु राज्य **(1982) 3 एससीसी 458;** सुदेश कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य **(2008) 3 एससीसी 111: [2008] 2 एससीआर 146;** सीसीई बनाम बाहुबली **(1979) 2 एससीसी 279: [1979] 1 एससीआर 1104;** राज्य बनाम रतन लाल अरोड़ा, **(2004) 4 एससीसी 590: [2004] 1 पूरक एस.सी.आर. 631 निर्दिष्ट है।**

<u>निर्णय विधि संदर्भ</u>

[2019] 3 एस.सी.आर. 691	**पर निर्भर किया गया**	**अनुच्छेद 5**
[1963] सप्ल एस.सी.आर.745	**पर निर्भर किया गया**	**अनुच्छेद 7**
(1982) 3 एस.सी.सी. 458	**को संदर्भित**	**अनुच्छेद 7**
[2008] 2 एस.सी.आर. 146	**में निर्दिष्ट**	**अनुच्छेद 7**

(1972) 3 एस.सी.सी. 350	**पर निर्भर किया गया**	**अनुच्छेद 7**
[1972] 3 एस.सी.आर. 312	**पर निर्भर किया गया**	**अनुच्छेद 11**
[1979] 1 एस.सी.आर. 1104	**को संदर्भित**	**अनुच्छेद 13**
[2004] 1 सप्ल एस.सी.आर. 631	**में निर्दिष्ट**	**अनुच्छेद 13**

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार आपराधिक अपील सं. 47-48/2021।

सीआरए-एस-372-एसबी 2005 और सीआरए-एस-717-एसबी-2005 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 24.10.2019 से।

सुश्री ईशा अग्रवाल, अनिरुद्ध सांगानेरिया, सुश्री जसप्रीत गोगिया, करणवीर गोगिया, सुश्री शिवांगी सिंघल, परधुमन गर्ग, अभिषेक कुमार सिंह, अधिवक्ता उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति।

1. अपीलार्थी 20 और 19 वर्ष की आयु के युवा थे जब वे कानून के उल्लंघन का शिकार हुए। 14.02.2003 को, लगभग रात 7.30 पर, अपीलकर्ताओं ने सह-आरोपी गुरप्रीत सिंह[1] के साथ शिकायतकर्ता-अभियोजन पक्ष के गवाह 1 से गाँव जाने के लिए टैक्सी किराए पर लेने के लिए संपर्क किया। रास्ते में, जब उनके कहने पर कार को रोका गया, तो गुरप्रीत सिंह ने शिकायतकर्ता को पकड़ लिया और अपीलार्थी जगदीप सिंह ने एक खंजर लिया और अभियोजन पक्ष के गवाह 1 के माथे पर 6-7 चोटें पहुंचाईं। अपीलार्थी लखवीर सिंह ने चाकू से उसके पेट पर 2-3 और गर्दन पर 1 घाव किया। शिकायतकर्ता को उसकी टैक्सी से बाहर फेंक दिया गया और तीनों लोग टैक्सी लेकर भाग गए। शिकायतकर्ता द्वारा अपराध की रिपोर्टिंग के अनुसरण में, धारा 382 और धारा 307 के साथ धारा 34 भारतीय दंड संहिता के तहत 15.02.2003 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। टैक्सी के साथ चाकू और खंजर बरामद किया गया और विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के तहत आरोप तय किए। विचारण के पश्चात्, अपीलार्थियों को विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 08.01.2005 के निर्णय द्वारा दोषी ठहराया गया था और प्रत्येक को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

2. अपीलार्थियों द्वारा की गई अपील को दिनांक 24.10.2019 के आक्षेपित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

3. अपीलार्थियों ने एक विशेष अनुमति याचिका द्वारा इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इसके साथ, शिकायतकर्ता अमरीक सिंह और हमारे समक्ष अपीलार्थियों के बीच समझौता विलेख आया, जिसके संदर्भ में शिकायतकर्ता ने कहा है कि वह अपीलार्थियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता था और उसे जमानत पर उनकी रिहाई या बरी होने पर कोई आपत्ति नहीं है। अपीलार्थी हिरासत में रहते हुए अपनी सजा का लगभग 50% पहले ही पूरा कर चुके हैं।

4. 03.12.2020 को, इस न्यायालय ने उपरोक्त याचिका को दर्ज करते हुए, विशेष अनुमति याचिका पर और जमानत की अंतरिम राहत के अनुरोध पर नोटिस जारी किया, साथ ही साथ शिकायतकर्ता को दूसरे प्रत्यर्थी के रूप में शामिल किया। 18.12.2020 को, राज्य के वकील और प्रत्यर्थी संख्या 2 उपस्थित हुए और प्रत्यर्थी संख्या 2 के वकील ने पुष्टि की कि विवाद सौहार्दपूर्ण ढंग से हल हो गया है। तथापि, प्रत्यर्थी संख्या. 1 के वकील ने प्रस्तुत किया कि धारा 397 के अधीन कानून द्वारा प्रदत्त न्यूनतम दंड 7 वर्ष है और उसे उस अवधि से कम नहीं किया जा सकता है। इस प्रस्तुतीकरण पर, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के तहत लाभ की मांग की, जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में जाना जाएगा। यह उपरोक्त पहलू के सीमित परिप्रेक्ष्य पर है कि 11.01.2021 को, हमने अनुमति दी और दलीलों के समापन पर निर्णय सुरक्षित रखा और पक्षों ने अपना सारांश दायर किया।

कानूनी स्थिति

5. राज्य प्रत्यर्थी संख्या. 1 के विद्वत वकील की याचिका ***मध्य प्रदेश राज्य बनाम विक्रम दास***[2] के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर आधारित है, जिसमें यह मत व्यक्त किया गया है कि न्यायालय कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम सजा से कम नहीं लगा सकते हैं। इस प्रकार वह शेष सजा पूरी करने के लिए अपीलार्थियों को निरंतर हिरासत में रखने की मांग करता है। दूसरी ओर, अपीलार्थियों के विद्वान

वकील ने अपराध किए जाने के समय अपीलार्थियों की आयु को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम के तहत लाभ की मांग की है।

6. हम देख सकते हैं कि उक्त अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण अधिनियमन और इसके संशोधनों के लिए तर्क की व्याख्या करता हैः अपराधियों को कारावास की सजा देने के बजाय अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहाई का लाभ देना है। इस प्रकार, अपराधियों को जेल जीवन के हानिकारक प्रभावों के अधीन किए बिना समाज के उपयोगी और आत्मनिर्भर सदस्यों के रूप में सुधार और पुनर्वास पर जोर दिया जा रहा है। उक्त अधिनियम की धारा 6, अपने स्वयं के शीर्षक के अनुसार, इक्कीस वर्ष से कम उम्र के अपराधियों के कारावास पर प्रतिबंध का प्रावधान करती है। उक्त प्रावधान इस प्रकार है:

> **"6. 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों के कारावास पर प्रतिबंध -** (1) जब इक्कीस वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति कारावास (लेकिन आजीवन कारावास से नहीं) से दंडनीय अपराध करने का दोषी पाया जाता है, तो वह न्यायालय जिसके द्वारा वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है, उसे कारावास की सजा नहीं देगा, जब तक कि यह संतुष्ट नहीं हो जाता है कि अपराध की प्रकृति और अपराधी के चरित्र सहित मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, धारा 3 या धारा 4 के तहत उसके साथ व्यवहार करना वांछनीय नहीं होगा, और यदि न्यायालय अपराधी को कारावास की कोई सजा सुनाती है, तो वह ऐसा करने के लिए अपने कारणों को दर्ज करेगी।
>
> (2) स्वयं को संतुष्ट करने के प्रयोजन के लिए कि क्या उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपराधी के साथ धारा 3 या धारा 4 के अधीन व्यवहार करना वांछनीय नहीं होगा, न्यायालय परिवीक्षा अधिकारी से एक रिपोर्ट मांगेगा और अपराधी के चरित्र और शारीरिक और मानसिक स्थिति से संबंधित रिपोर्ट, यदि कोई हो, और उसके पास उपलब्ध किसी अन्य जानकारी पर विचार करेगा।

7. इस न्यायालय की 4-न्यायाधीशों की पीठ ने ***रामजी मिसर बनाम बिहार राज्य***[3] मामले में यह विचार व्यक्त किया था कि उक्त उपबंध उन अपराधियों पर लागू किया जाए जिनकी आयु सजा सुनाए जाने की तारीख को 21 वर्ष से कम थी न कि अपराध किए जाने की तारीख को। ***मसारुल्ला बनाम***

तमिलनाडु राज्य[4] में इस आशय की टिप्पणियां हैं कि "अपराध करने की तारीख को इक्कीस वर्ष से कम आयु के अपराधी के मामले में, न्यायालय से साधारण रूप से अधिनियम के प्रावधानों का लाभ देने की अपेक्षा की जाती है और जब तक कि न्यायालय अपराध की प्रकृति और अपराधी के चरित्र सहित मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अन्यथा विचार नहीं करता, तब तक सजा देने की न्यायालय की शक्ति पर प्रतिबंध है और सजा देने के कारणों को दर्ज करना होगा। इस पहलू के निर्णय के लिए प्रासंगिक विचार हैं, मामले की परिस्थितियाँ, अपराध की प्रकृति और अपराधी का चरित्र। इसलिए, यह तय करते समय उपरोक्त तीन पहलुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है कि क्या अपीलकर्ता को अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना चाहिए। लेकिन **सुदेश कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य**[5] के बाद के फैसले में रामजी मिसार (पूर्वोक्त) में चार न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को संभवतः ध्यान से हटा दिया गया था। इस प्रकार, कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया गया जैसा कि रामजी मिसर (पूर्वोक्त) में परिलक्षित होता है। तर्क यह है कि प्रावधान का अंतर्निहित उद्देश्य सुधारात्मक है - धारा 6 एक विशेष प्रावधान है जो 21 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को जेल में बंद करने से रोकने के लिए, उन्हें कठोर अपराधियों के हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए अधिनियमित किया गया है।[6] वर्तमान मामले के तथ्यों में, अपीलकर्ताओं की उम्र अपराध की तिथि के अनुसार 21 वर्ष से कम बताई गई है। सजा का आदेश ट्रायल कोर्ट द्वारा यह देखते हुए पारित किया गया था कि अपीलकर्ताओं ने एक गरीब व्यक्ति के खिलाफ गंभीर प्रकृति का अपराध किया था और इस प्रकार वे उक्त अधिनियम के तहत या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 के तहत लाभ से वंचित थे।

8. ***सत्यभान किशोर बनाम बिहार राज्य***[7] इस न्यायालय ने धारा 6 के बीच के अंतर को नोट किया था, जो न्यायालयों के लिए अधिनियम की धारा 3 या 4 से अलग के रूप में अनुसरण करने के लिए एक निषेधाज्ञा की प्रकृति में है; जो प्रकृति में विवेकाधीन हैं। संबंधित प्रावधान इस प्रकार हैं :

> "**3. चेतावनी के बाद कुछ अपराधियों को रिहा करने की न्यायालय की शक्ति** - जब कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता (45/1860) की धारा 379 या धारा 380 या धारा 381 या धारा 404 या धारा 420 के अधीन दंडनीय अपराध करने का या भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य विधि के अधीन दो वर्ष से अधिक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय अपराध करने का दोषी पाया जाता है और उसके विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि सिद्ध नहीं होती है और जिस न्यायालय द्वारा वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है, उसकी राय है कि अपराध की प्रकृति और अपराधी के चरित्र सहित मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना समीचीन है, तो, उस समय लागू किसी

अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय उसे किसी दंड की सजा देने या धारा 4 के अधीन अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करने के बजाय, उसे उचित चेतावनी देने के बाद रिहा कर सकता है।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि में इस धारा या धारा 4 के अधीन उसके विरुद्ध किया गया कोई पूर्व आदेश सम्मिलित होगा।

4. **कुछ अपराधियों को अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करने की न्यायालय की शक्ति।** — (1) जब किसी व्यक्ति को ऐसा अपराध करने का दोषी पाया जाता है जो मौत या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और जिस न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को दोषी पाया गया है, उसकी राय है कि, अपराध की प्रकृति सहित मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और अपराधी के चरित्र को ध्यान में रखते हुए, उसे अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करना समीचीन है, फिर, उस समय लागू किसी भी अन्य कानून में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, न्यायालय उसे तुरंत कोई सजा देने के बजाय यह निर्देश दे सकती है कि उसे रिहा कर दिया जाए। वह ज़मानत के साथ या उसके बिना एक बांड में प्रवेश कर रहा है, जिसमें न्यायालय द्वारा निर्देशित तीन साल से अधिक की अवधि के दौरान बुलाए जाने पर उपस्थित होने और सजा प्राप्त करने और इस बीच शांति बनाए रखने और अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा जाएगा:

बशर्ते कि न्यायालय किसी अपराधी की ऐसी रिहाई का निर्देश तब तक नहीं देगी जब तक कि यह संतुष्ट न हो जाए कि अपराधी या उसकी जमानत, यदि कोई हो, का उस स्थान पर निवास या नियमित व्यवसाय का एक निश्चित स्थान है जिस पर न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग करती है या जिसमें अपराधी के उस अवधि के दौरान रहने की संभावना है जिसके लिए वह बांड में प्रवेश करता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश करने से पूर्व न्यायालय मामले के संबंध में संबंधित परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करेगा।

(3) जब उप-धारा (1) के तहत कोई आदेश दिया जाता है, तो न्यायालय, यदि उसकी राय है कि अपराधी और जनता के हित में ऐसा करना समीचीन है, तो इसके अलावा एक पर्यवेक्षण आदेश भी पारित कर सकती है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि अपराधी ऐसी अवधि के दौरान, जो एक वर्ष

से कम नहीं होगी, आदेश में नामित एक परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में रहेगा, जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया जा सकता है, और ऐसे पर्यवेक्षण आदेश में ऐसी शर्तें लगाई जा सकती हैं जो अपराधी की उचित निगरानी के लिए आवश्यक समझी जाएं।

(4) उप-धारा (3) के तहत पर्यवेक्षण आदेश देने वाली न्यायालय को अपराधी को रिहा करने से पहले, ज़मानत के साथ या उसके बिना, बंधन में प्रवेश करने की आवश्यकता होगी, ऐसे आदेश में निर्दिष्ट शर्तों और निवास के संबंध में ऐसी अतिरिक्त शर्तों का पालन करना होगा। , नशीले पदार्थों या किसी भी अन्य मामले से परहेज, जैसा कि न्यायालय, विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उसी अपराध की पुनरावृत्ति को रोकने या अपराधी द्वारा अन्य अपराधों के कमीशन को रोकने के लिए लगाना उचित समझती है।

(5) न्यायालय उप के तहत एक पर्यवेक्षण आदेश दे रही है। -धारा (3) अपराधी को आदेश के नियमों और शर्तों को समझाएगा और प्रत्येक अपराधी, जमानतदारों, यदि कोई हो, और संबंधित परिवीक्षा अधिकारी को पर्यवेक्षण आदेश की एक प्रति तुरंत देगा।

अपीलार्थियों के मामले में, अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए धारा 3 का कोई आवेदन नहीं होगा। तथापि, धारा 4 अपीलार्थियों की सहायता के लिए आ सकती है क्योंकि किया गया अपराध, जिसमें वे दोषी पाए गए हैं, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है। हालांकि, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों के खिलाफ राय दी। हम यह भी ध्यान कर सकते हैं कि धारा 4 में निहित "इसके बावजूद", कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, न्यायालय किसी व्यक्ति को शांति और अच्छा व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए उसे सजा देने के बजाय 3 साल की अवधि के लिए मुचलके पर, जमानत के साथ या उसके बिना रिहा करने की अनुमति देती है। इस संबंध में, उपधारा (2) के अधीन उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश देने से पहले न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह मामले के संबंध में संबंधित परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट, यदि कोई हो, को ध्यान में रखे।

9. हम यह नोट कर सकते हैं कि उपरोक्त धारा 6 से अलग है क्योंकि यह प्रकृति में विवेकाधीन है जबकि धारा 6 में यह प्रावधान है कि न्यायालय को 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को कारावास की सजा तब तक नहीं देनी चाहिए जब तक कि परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर उचित विचार के आधार पर इसके लिए पर्याप्त कारण दर्ज नहीं किए जाते हैं। अधिनियम की धारा 6 के तहत लाभ देते समय प्रासंगिक पहलू

हैं : अपराध की प्रकृति, अपराधी का चरित्र और परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट में दर्ज आसपास की परिस्थितियाँ।[8]

10. हम देख सकते हैं कि चूंकि हम उन अपीलकर्ताओं से चिंतित हैं जो अपराध की तारीख पर 21 वर्ष से कम उम्र के थे और दोषसिद्धि की तारीख पर नहीं, धारा 6 उनकी सहायता के लिए नहीं आएगी। इस न्यायालय[9] के बाद के फैसले में, यह नोट किया गया कि ***मसरूल्लाह*** (उपर्युक्त) में, इस न्यायालय ने अपराध करने की तारीख के अनुसार दोषी की उम्र की गलत गणना की थी और अधिनियम के तहत परिवीक्षा देने और भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के तहत 7 साल की अनिवार्य न्यूनतम सजा के बीच संभावित तनाव की कोई चर्चा नहीं की गई है।

11. जहां तक धारा 4 के आह्वान का संबंध है, कानूनी स्थिति का विश्लेषण ***ईशर दास बनाम पंजाब राज्य***[10] में किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम की धारा 4 में गैर-अस्थाई खंड विधायी इरादे को दर्शाता है कि अधिनियम के प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य कानून के बावजूद प्रभावी हैं। ***रामजी मिसर*** (पूर्वोक्त) में अवलोकन को इस आशय के अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था कि किसी भी अस्पष्टता के मामले में, अधिनियम के लाभकारी प्रावधानों की व्यापक व्याख्या की जानी चाहिए और इसे सीमित अर्थों में नहीं पढ़ा जाना चाहिए।

12. उपरोक्त पहलू की पुष्टि उक्त अधिनियम के शब्दों से होती है जो निम्नानुसार हैः

> "18. **कुछ अधिनियमों के संचालन को बचाना।** - इस अधिनियम में कुछ भी सुधारात्मक स्कूल अधिनियम, 1897 (1897 का 8) की धारा 31 या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 (1947 का 2) की धारा 5 की उप-धारा (2) या किशोर अपराधियों या बोरस्टल स्कूलों से संबंधित किसी भी राज्य में लागू किसी कानून के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगा।

13. यद्यपि, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5 (2) (जिसे इसके पश्चात् 'पीसी अधिनियम' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) 1 वर्ष से कम के लिए कारावास की न्यूनतम सजा निर्धारित करती है, अधिनियम के अनुप्रयोग को ध्यान में रखते हुए एक अपवाद बनाया गया था। ***इशर दास*** (पूर्वोक्त)

में इस न्यायालय ने उल्लेख किया कि यदि विधायिका का उद्देश्य यह था कि अधिनियम उन सभी मामलों पर लागू नहीं होता है जहां कारावास की न्यूनतम सजा निर्धारित की गई है, तो पीसी अधिनियम की धारा 5 (2) के लिए विशेष रूप से अपवाद प्रदान करने का कोई कारण नहीं था। तथ्य यह है कि अधिनियम की धारा 18 में ऐसे कोई अन्य अपराध शामिल नहीं हैं जहां एक अनिवार्य न्यूनतम सजा निर्धारित की गई है, यह सुझाव देता है कि इस अधिनियम को ऐसे अन्य अपराधों में लागू किया जा सकता है। इस पहलू पर अधिक सूक्ष्म व्याख्या ***सीसीई बनाम बाहुबली***[11] में दी गई थी। यह राय दी गई कि अधिनियम उन मामलों में लागू नहीं हो सकता है जहां 1958 के बाद अधिनियमित एक विशिष्ट कानून एक अनिवार्य न्यूनतम सजा निर्धारित करता है, और कानून में एक गैर-प्रतिरोधी खंड शामिल है। इस प्रकार, अधिनियम[12] के लाभ अधिनियम के बाद अधिनियमित विशेष कानून द्वारा निर्धारित अनिवार्य न्यूनतम सजा के मामले में लागू नहीं होते हैं। इस संदर्भ में, यह ***मध्य प्रदेश राज्य बनाम विक्रम दास*** (पूर्वोक्त) में देखा गया था कि न्यायालय क़ानून द्वारा निर्धारित अनिवार्य सजा से कम सजा नहीं दे सकती। हमारा विचार है कि उपरोक्त कानूनी निर्णयों का परिणाम इस निष्कर्ष के साथ समाप्त होता है कि उक्त अधिनियम के तहत परिवीक्षा का लाभ वर्तमान मामले में अपराध, भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के तहत अनिवार्य न्यूनतम सजा के प्रावधानों से बाहर नहीं किया गया है। वास्तव में, ***जोगिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य***[13] में की गई टिप्पणियाँ उसी संदर्भ में हैं।

तथ्यात्मक स्थिति

14. वर्तमान मामले के तथ्य यह हैं कि अपीलार्थियों ने 7 वर्ष की न्यूनतम सजा पूरी नहीं की है, हालांकि उन्होंने लगभग आधी सजा काट ली है। अपराध की तारीख पर उनकी आयु 19 और 21 वर्ष से कम थी, लेकिन सजा की तारीख पर नहीं। उनके मामले में मोचन विशेषता यह है कि जो व्यक्ति पीड़ित था, उसने संभवतः समय बीतने के साथ उन्हें माफ कर दिया था। जेल में उनके आचरण के बारे में उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं है अन्यथा राज्य के विद्वान वकील द्वारा इसे हमारे संज्ञान में लाया गया होता। उपरोक्त कानूनी स्थिति का सामना करते हुए, यह एक उपयुक्त मामला है कि आधी सजा पूरी होने पर उक्त अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के मद्देनजर उक्त अधिनियम के तहत अपीलकर्ताओं को परिवीक्षा का लाभ दिया जा सकता है।

15. इस प्रकार, हम अपीलकर्ताओं को उनकी आधी सजा पूरी होने और दो जमानतदारों के साथ एक बांड में प्रवेश करने पर उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे शेष अवधि के लिए शांति और अच्छा व्यवहार बनाए रखें। उनकी सजा, ऐसा न करने पर उन्हें सजा के उस हिस्से को पूरा करने के लिए कहा जा सकता है।

16. अपीलों का निपटान उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है और पार्टियों को अपनी लागत स्वयं वहन करनी होती है।

देविका गुजराल अपीलें निस्तारित।

1. उन्होंने किशोर न्यायालय के समक्ष मुकदमे का सामना किया।
2. (2019) 4 एससीसी 125
3. ए.आई.आर 1963 एस.सी. 1088
4. (1982) 3 एससीसी 458
5. (2008) 3 एससीसी 111
6. इशर दास बनाम पंजाब राज्य, (1973) 2 एससीसी 65, अनुच्छेद 7
7. (1972) 3 एससीसी 350
8. मसरुल्ला बनाम तमिलनाडु राज्य, 1982 3 एससीसी 458, अनुच्छेद 6
9. सुदेश कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य, (2008) 3 एससीसी 111
10. (1973) 2 एससीसी 65
11. (1979) 2 एससीसी 279
12. राज्य बनाम रतन लाल अरोड़ा, (2004) 4 एससीसी 590
13. आईएलआर (1981) पी.एंड.एच 1

दिब्या कुमारी की देखरेख में, अधिवक्ता सरवजीत सिंह द्वारा अनुवादित।

.